<u>प्रेस विज्ञप्ति</u>

8 फरवरी, 2019 **प्रेस विज्ञप्ति सं.: 6/2019**

पीएसीएल लि. के निवेशकों से दावे संबंधी आवेदन मंगवाने के संबंध में

पीएसीएल लि. के मामले से संबंधित न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर.एम. लोढा समिति वह समिति है, जिसका गठन भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा सुब्रत भट्टाचार्य बनाम भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी) के मामले में तथा दूसरे संबंधित मामलों में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के तारीख 2 फरवरी, 2016 के आदेश के अनुसार न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) आर.एम. लोढा की अध्यक्षता में किया गया है, ताकि पीएसीएल लि. की संपत्तियों की बिक्री की जा सके और बिक्री से मिलने वाले पैसों (सेल प्रोसीड्स) से उन निवेशकों को धन-वापसी की (रिफंड किया) जा सके जिन्होंने पीएसीएल लि. में अपना पैसा लगाया हो ।

समिति ने सबसे पहले पीएसीएल के उन निवेशकों से दावे संबंधी आवेदन मंगवाने की प्रक्रिया शुरू की थी, जिनकी पीएसीएल की तरफ से 2,500 रुपये तक की कुल रकम (मूलधन) बकाया थी । सत्यापन करने पर जो दावे सही पाए गए, उन दावों के संबंध में धन-वापसी कर दी गई (रिफंड कर दिया गया) । उक्त प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है ।

समिति ने अब पीएसीएल के उन सभी निवेशकों से दावे मंगवाने का निर्णय लिया है, जिनके दावे बकाया हों । जो निवेशक अपने दावे संबंधी आवेदन प्रस्तुत करना चाहते हों, वे इस वेबसाइट के माध्यम से अपने दावे संबंधी आवेदन प्रस्तुत कर सकते हैं - **http://sebipaclrefund.co.in/** ।

यह सूचित किया जाता है कि दावे संबंधी आवेदन प्रस्तुत करने की पूरी प्रक्रिया बताने वाले डेमो वीडियो (अंग्रेजी और हिन्दी दोनों ही भाषाओं में) उपरोक्त वेबसाइट पर दिए गए हैं, जिन्हें दावे संबंधी आवेदन प्रस्तुत करने से पहले देखा जा सकता है । इसके अलावा, निवेशकों को इस बात से आगाह भी किया जाता है कि वे अपने पीएसीएल रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्रों की मूल प्रतियाँ किसी को भी न दें, जब तक कि उन्हें समिति की ओर से इस बारे में खास तौर पर कोई सूचना प्राप्त न हो ।

यह स्पष्ट किया जाता है कि जितनी रकम के लिए दावा किया जाएगा उसके संबंध में धन-वापसी (रिफंड) पर विचार आवेदन प्राप्त करने की समस्त प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही किया जाएगा और यह इस बात पर भी निर्भर करेगा कि समिति के पास कितना पैसा (फंड) है ।

दावे संबंधी आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख **30 अप्रैल, 2019** है ।